फार्म– ब

देखिये नियम 9 (3) ,(4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर , श्रीगंगानगर

कमांक : एफ 12 (3)(7) राज/ 117 – 118

दिनांक : – 18 मार्च 2019

–::संपरिवर्तन आदेश::– (संशोधित आदेश)

आवेदक **श्री कृष्ण विधालय प्रबन्धक समिति गांव 23 बीबी तहसील पदमपुर श्रीगंगानगर** व्यवस्थापक जिला श्रीगंगानगर के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि चक 23 बी0 बी0 ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर द्वारा अभिघृति मे धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू– राजस्व (ग्रामिण.क्षेत्र में का अकृषित प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन वाणिज्यक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार पदमपुर तथा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पदमपुर श्रीगंगानगर से प्राप्त रिर्पोट के आधार पर आवेदित भूमि का सपरिर्वतन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है:–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम अनुसूचित जन जाति का सदस्य है:– **श्री कृष्ण विद्यालय प्रबंधक** समिति, **चक 23बीबी तहसील** पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। जरिये बलदेव राज पुत्र श्री मुकन्द लाल

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है: – नहीं

3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–

   (क) ग्राम /ग्राम पंचायत/तहसील का नाम — 23 बी0 बी0 ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर

   (ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर/ वर्गमीटर में):– 23 बी0 बी0 ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर

खाता संख्या	किला नम्बर	कुल भूमि
18/115, 18/18	3/2/0.051 8/0.253, 13/1/0.126 14/1/0.045, /15/1/0.014	0.8000 हैक्टर (8000 वर्गमीटर)

   (ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए। संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर)

खाता संख्या	किला नम्बर	कुल भूमि
18/115, 18/18	3/2/0.051 8/0.253, 13/1/0.126 14/1/0.045, /15/1/0.014	0.8000 हैक्टर (8000 वर्गमीटर)

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– **वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोनार्थ**

5. संदेय प्रीमियम की दर :– 160/– रूपये प्रति वर्गमीटर

6. चालान की संख्या तथा तरीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम:–
   चालान की संख्या तारीख सहित

चालान संख्या	दिनांक	रूपये
	12.01.11	2,48,100/–
1179	18.1.2011	5,24,251/–
	10.02.2011	1,96,200/–
1310	18.02.2011	3,14,200/–

7. शास्ति , यदि कोई हो तो जमा कराई गई शास्ति की रकम:– कुल सदये प्रीमियम 1282761/–

8. चलान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो , तो जमा कराई गई शास्ति
   की रकम : – शुन्य
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है:– नहीं
10. अन्य विशिष्टि , यदि कोई हो:– – –
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:–
    1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
    2. यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने तारीख से 5 वर्ष कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
    3. नियम :– 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।
    4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
    5. शिक्षण संस्थान का निर्माण राष्टीय सडक कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निधारित मापदण्ड के अनुसार निधारित सडक सीमा के पश्चात किया जाएगा, भविष्य में सडक की चौडाई बढाये जाने के दौरान यदि सडक सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नही किया जायेगा।
    6. राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशो / आदेशो की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
    7. उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । जिसके लिये प्रार्थी व्यक्तिगत रू॰ से जिम्मेवार होगा।

ह0
(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Dist. Collector & Magistrate Sri Ganganagar

Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक : – एफ 12(3)(07) राज / 117-118 दिनांक:– 18 मार्च 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक हेतु:–

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग श्रीगंगानगर को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित सम्परिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जाने हेतु सम्बधित अधिशषी अभियन्ता को अपने स्तर कसे निर्देशित करने का श्रम करे।
2. तहसीदार (राजस्व) पदमपुर को उनके पत्रांक राजस्व /2019/4272 दिनांक 13.03.2019 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त सपरिवर्तन आदेश का राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अंकन करना सुनिश्चित करें।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पदमपुर को उनके पत्र कमांक 372 दिनांक 14.03.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
4. ग्राम सेवक एवम् पदेन ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
5. आवेदक श्री कृष्ण विद्यालय प्रबंधक समिति, चक 23बीबी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। जरिये बलदेव राज पुत्र श्री मुकन्द लाल।
6. रक्षित पत्रावली।

(ओ.पी. जैन)
अति0 जिला कलक्टर ,
श्रीगंगानगर